

प्रेस नोट
दिनांक: 09.10.2026
जनपद – मऊ

नवागत पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश कुमार मिश्रा ने जनपद मऊ में ग्रहण किया कार्यभार-

आज दिनांक 09.10.2026 को नवागत पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस लाइन मऊ में गार्ड की सलामी ली गई तत्पश्चात उन्होंने पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नवागत पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जायेगा। जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, महिला सुरक्षा, जनसुनवाई तथा पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग- 17000/- वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.10.2026 को गुम/ खोये हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीड़ित/ आवेदक मो० फुरकान निवासी घास बाजार का एक अदद मोबाइल फोन कीमत- 17,000/- (सत्रह हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 6000/- (छः हजार रुपये) पीड़ित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल

पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 09.10.2026 को पीड़ित / आवेदक नेयाज अहमद निवासी थाना कोतवाली जनपद मऊ, यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 6000/- (छः हजार रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से थाना घोसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 09.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत टीमे गठित कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 394 वाहनो को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान व 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी । यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।

दिनांक 09.10.2026 को *पुलिस लाईन मऊ के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में कानून-व्यवस्था/ अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया* । इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे । इसी क्रम में महोदय द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी तथा शांति/ कानून व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुये निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये –

1 . छोटी-छोटी घटनाओं पर भी विशेष नजर बनायें रखें तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाय।

2. गंभीर घटना कारित होने पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया जाय एवं उच्चाधिकारियों को ब्रीफ किया जाय।
3. जनशिकायतों/आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण किया जाय तथा मौके का भ्रमण अवश्य किया जाय।
4. अपराधों को रोकने हेतु पैदल गस्त एवं पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
5. बीट व्यवस्था प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाय।
6. गोवध के मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगेस्टर की कार्यवाही अवश्य की जाय।
7. अवैध मद्य निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय तथा सम्भावित क्षेत्रों में निरंतर चेकिंग/दबिश की कार्यवाही की जाय एवं इस अपराध में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की जाय।
8. लूट की घटनाओं को रोकने हेतु पूर्व में संलिप्त रहे अपराधियों का अभियान चलाकर सत्यापन किया जाय तथा उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।
9. जमीन सम्बन्धी विवादों में राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर मौके का भ्रमण कर समाधान कराया जाय।
10. सभी थाने पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन कर आवश्यक दिशा-निर्देशों से सभी को अवगत करा दिया जाय।
11. सम्पूर्ण समाधान तहसील/थाना दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 05 दिवस में अवश्य कर लिया जाय।
12. महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।
13. आगामी त्योहारों के अवसर पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर गस्त/पिकेट की व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर त्योहार सकुशल सम्पन्न कराया जाय।
14. सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा अफवाहों का खंडन अतिशीघ्र करें।
15. संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।